राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5892 / 2022

अजय सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर राजस्थान।
3. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, कोटा रेंज, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा ग्रामीण, कोटा राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.11.2022
आदेश की दिनांक : 03.05.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राम कुमार स्वामी एवं राकेश स्वामी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–4 ने आदेश दिनांक 15.03.2019 पारित किया है, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात अपीलार्थी के दो से अधिक संतान होने से उसे 18 वर्ष की एसीपी का लाभ 3 वर्ष के पश्चात अर्थात् 08.03.2016 के स्थान पर 08.03.2019 से दिया जाये। अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि पूर्व में आदेश दिनांक 22.12.2015 (अनुलग्नक–4) के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् 2 से अधिक संतान होने से अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में 5 वर्ष तक अभियोजित योग्यता परिक्षा के लिए वंचित किया जाता है। अतः पूर्व में 2 से अधिक संतान होने की दशा में अपीलार्थी को एक बार लाभ से वंचित

किया जा चुका है, तो उसी आधार पर दूसरी बार फिर एसीपी का लाभ समय पर दिये जाने से वंचित किया जाना उचित नहीं है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब में यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की 18 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 08.03.2016 को पूर्ण हो गई थी। लेकिन राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.06.2001 एवं 08.04.2003 एवं पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1978 दिनांक 26.03.2006 द्वारा 01.06.2002 के पश्चात 02 संतान से अधिक होने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.2008 के प्रावधानान्तर्गत सजाओं का प्रभाव होने से 18 वर्ष की सेवा दिनांक 08.03.2019 को पूर्ण करने पर नियमानुसार जर्ये डी.ओ.बी. संख्या 275 दिनांक 05.03.2019 आदेश क्रमांक 3416–17 दिनांक 15.03.2019 द्वारा अपीलार्थी की द्वितीय ए.सी.पी. स्वीकृत की गई है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलार्थी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1024/2018 श्रीराम बारूपाल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2021 प्रस्तुत किया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार से मत व्यक्त किया है :–

> ''The court clearly opined that the respodents having inflicted one punitive action of department of ACP for a period of 5 years because of the fact that the employee fathered a third child after 13.08.2004 and having been penalised, by no means, the respondents could have inflicted another adversity on the petitioner for the same cause.
>
> In that view of the matter, the issue raised by the petitioner is squarely covered by the judgment in the case of Parbat Singh (supra).
>
> So far as the submissions made by learned counsel for the respondents regarding taking action under two different orders is concerned, the mere fact that two diferent orders dealing with promotion as well as ACP are in existence, does not mean the same has to be applied to the same employee.

The deferment of either promotion or ACP, as the case may be, is required to be applied to the subject employee, however, both the circulars cannot be applied to the same employee, for the same cause.''

5. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि जहां एक आदेश/परिपत्र से अपीलार्थी को दण्डित किया जा चुका है, वहां दूसरे आदेश के आधार पर अपीलार्थी को उसी कारण के आधार पर दण्डित किया जाना उचित नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को 01.06.2002 के पश्चात् 2 से अधिक संतान होने की दशा में 5 वर्ष तक योग्यात्मक परिक्षा के लिए वंचित रखा जा चुका है, तो वहां पर अपीलार्थी को दूसरी बार उसी कारण के आधार पर 3 वर्षों तक ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने पर रोक लगाई जाना उचित नहीं है।

6. अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के संबंध में आदेश दिनांक 15.03.2019 अपीलार्थी की हद तक अपास्त किया जाता है एवं यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को 18 वर्षीय एसीपी का लाभ के लिए 3 वर्षों तक वंचित नहीं किया जावे। यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में 18 वर्षीय एसीपी का लाभ दिये जाने का आदेश 2 माह में प्रसारित करें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)